

## विचार बिन्दु

नियम के बिना और अभिमान के साथ किया गया तप व्यर्थ ही होता है। –वेदव्यास

# जांच और अभियोजन की खामियां दर्शाता अदालती फैसला

मुंबई में 11 जुलाई, 2006 को विभिन्न स्थानों पर लोकल ट्रेनों में सात विस्फोट हुए, जिनमें 180 से ज़्यादा लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए थे। इसके उन्नीस साल बाद, बाँम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को उनके सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा और “यह विश्वास करना मुश्किल है कि उन्होंने अपराध किया है”। यह फैसला अपराध की जांच करने वाली एजेंसी और अभियोजन पक्ष के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी लेकर आया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हाल के वर्षों में अनेकों ऐसे फैसले आए हैं जिनमें बरसों से जेलों में बंद लोग बरी किए गये है। हालांकि ऐसे फैसले भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं विश्वसनीयता को स्थापित करते है किन्तु वे न्याय प्रक्रिया में देरी की ओर भी ध्यान खींचते है। साथ ही वे जांच एजेंसियों और अभियोजन पक्ष की खामियों का अधिकार प्रदान करता है। लेकिन जब एक व्यक्ति बरसों तक अदालतों में घसीटा जाता है और अंततः उच्च न्यायालय उसे बरी कर देता है, तब यह प्रश्न स्वाभाविक ही उठता है कि क्या वह केवल एक न्यायिक निर्णय है या वर्षों की पीड़ा और अन्याय की स्वीकृति है। अधिकतर मामलों में ट्रायल कोर्ट में दोष सिद्ध हो जाते हैं, परंतु ऊपर के न्यायालयों में अपीलों के दौरान यह स्पष्ट होता है कि साक्ष्य अपर्याप्त थे या गवाहों की गवाही टिकने वाली नहीं थी। इससे ट्रायल अदालतों के निर्णयों पर भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं। इस बार भी हुआ है जिसमें न्यायमूर्ति अनिल किलोरे और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की विशेष पीठ ने मुंबई हादसों के बारे में कहा कि अभियोजन पक्ष अपराध में इस्तेमाल किए गए बमों के प्रकार को भी रिकॉर्ड में दर्ज करने में विफल रहा है और जिन सबूतों पर उसने भरोसा किया है, वे आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए निर्णायक नहीं है। हाईकोर्ट ने 12 लोगों की दोषसिद्धि को रद्द करते हुए कहा कि गवाहों के बयान और आरोपियों से की गई कथित बरामदगी का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है। इन 12 लोगों में से पांच को एक विशेष अदालत ने मौत की सज़ा और सात को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने कहा, “अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। यह मानना ​​मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है। इसलिए उनकी दोषसिद्धि रद्द की जाती है।” इस फैसले में अभियोजन पक्ष की कमजोरियों पर भी टिप्पणियां हैं कि वह मामले के महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ करने में विफल रहा तथा बरामद वस्तुओं का खराब और अनुचित रखरखाव करके प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला। पीठ ने कहा, “अभियोजन पक्ष कथित अपराध में इस्तेमाल किए गए बमों के प्रकार को भी रिकॉर्ड में दर्ज करने में विफल रहा है।” उच्च न्यायालय ने मामले के कुछ आरोपियों के कथित इकबालिया बयानों को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा लगता है कि ये बयान उन्हें यातना देकर लिए गए थे। पीठ ने कहा, “इकबालिया बयान अधूरे और असत्य पाए गए हैं क्योंकि कुछ हिस्से एक-दूसरे को नकल हैं। आरोपियों ने यह साबित कर दिया है कि उस समय उन्हें यातनाएं दी गई थीं।” अदालत ने आरोपियों की पहचान परेड को भी खारिज कर दिया और कहा कि संबंधित पुलिस को ऐसा करने का कोई अधिकार ही नहीं था। उच्च न्यायालय ने गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्यों को भी स्वीकार करने से यह कह कर इनकार कर दिया कि “गवाहों के बयान विश्वसनीय या भरोसेमंद नहीं हैं और आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए निर्णायक नहीं हैं। गवाहों ने घटना के चार महीने बाद पुलिस के सामने शिनाख्त परेड के दौरान और फिर चार साल बाद अदालत में आरोपियों की पहचान की।” इन गवाहों को घटना वाले दिन आरोपियों को देखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला था ताकि वे बाद में उनकी सही पहचान कर सकें। न्यायधीशों ने कहा कि हमें ऐसा कोई कारण नहीं मिला जिससे उनकी स्मृति जागृत हो और चेहरे याद आ सकें।”

अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों में निर्दोष साबित होने पर सरकार द्वारा मुआवजा, पुनर्वास सहायता, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग तथा रोजगार पुनर्स्थापन जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। भारत में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बरसों तक मुकदमे झेलने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रिहाई भले ही कानूनी दृष्टि से न्याय का प्रतीक हो, परंतु मानवीय दृष्टिकोण से यह एक त्रासदी ही कही जाएगी।

अभियुक्तों पर कैसा सामाजिक व मानसिक दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिन लोगों ने वर्षों जेल में बिताए, वे मानसिक रूप से टूट जाते हैं। उनकी पहचान समाज में ‘अपराधी’ के रूप में स्थापित हो जाती है, चाहे उन्हें बाद में निर्दोष घोषित कर दिया जाए। समाज में उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। रोजगार, शादी, और सामाजिक प्रतिष्ठा जैसी चीजें उनसे छिन जाती हैं। एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया मंद न केवल व्यक्ति की आय प्रभावित होती है, बल्कि उसके परिवार पर भी भारी आर्थिक बोझ पड़ता है – कहींलों की फीस, कोर्ट की तारीखों पर जाना, नौकरी छूट जाना आदि। हालांकि कहा यह जाता है कि बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेशन मगर भारत में जमानत के सिद्धांत को आमतौर पर पूरी तरह नज़रअंदाज किया जाता है। परिणामस्वरूप, आरोपी बिना दोष सिद्ध हुए सालों तक जेल में बंद रहता है। इसीलिए ऐसे में केवल दोषमुक्ति ही नहीं, पुनर्वास और क्षतिपूर्ति को भी उतना ही अनिवार्य बनाए जाने की मांग होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि देश में सच्चे अर्थों में संवैधानिक और मानवीय न्याय की व्यवस्था करनी है, तो न्यायिक प्रक्रिया को समयबद्ध, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना होगा। सच तो यह है कि भारतीय न्याय व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी न्यायिक प्रणालियों में से एक है, परंतु यह समान रूप से धीमी और जटिल भी है। हमारे यहां ट्रायल कोर्ट की त्रुटियों पर भी यदा-कदा ऊपरी अदालतें नाराजगी जताते हुए टिप्पणियां करती हैं। बहुत बार निचली अदालतें साक्ष्यों की ठीक से व्याख्या नहीं कर पातीं या अभियुक्तों के पक्ष को पर्याप्त सुनवाई का अवसर नहीं देतीं, जिससे उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के बाद अभियुक्त बरी कर दिए जाते हैं।

हालांकि मुकदमे लंबे खिंचते हैं, परंतु उच्च न्यायालय कई बार न्याय की अंतिम आशा बनकर सामने आते हैं। वे तथ्यों और साक्ष्यों की विस्तृत समीक्षा करते हैं और जांच तथा ट्रायल में हुई खामियों को उजागर करते हैं जैसा मुंबई की ट्रेनों में विस्फोटों के मुकदमे में हुआ है। उच्च न्यायालयों द्वारा दी गई रिहाई कई बार न्यायिक दखल और विवेक की मिसाल बनती है, लेकिन यह भी सत्य है कि उस निर्णय तक पहुंचने में जितनी देर हुई, वह आरोपी के जीवन की अपूरणीय क्षति बन जाती है। यहां यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है – क्या वर्षों बाद अदालत से बरी हो जाना न्याय है? लंबे समय तक जेल में रहना, कोर्ट की तारीखों का बोझ, अपनों से बिछड़ना – यह सब किसी को भी मानसिक रूप से तोड़ सकता है। कई मामलों में रिहा हुए लोगों को मानसिक रोगों से जूझते हुए भी पाया गया है। रिहाई के बाद जीवन को फिर से सामान्य पटरी पर लाना अत्यंत कठिन होता है। न तो समाज उसे सहज स्वीकार करता है, न ही उसका आत्मबल उसे फिर से जीवन में स्थापित होने देता है। इसलिए समाजशास्त्री व मनोवैज्ञानिक ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति की आवश्यकता प्रतिपादित करते हैं, ताकि बरी हुए लोगों का पुनर्वास हो सके और उन्हें समाज में पुनः स्थापित होने में सहयोग दिया जा सके। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों में निर्दोष साबित होने पर सरकार द्वारा मुआवजा, पुनर्वास सहायता, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग तथा रोजगार पुनर्स्थापन जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। भारत में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बरसों तक मुकदमे झेलने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रिहाई भले ही कानूनी दृष्टि से न्याय का प्रतीक हो, परंतु मानवीय दृष्टिकोण से यह एक त्रासदी ही कही जाएगी। यह स्थिति न केवल हमारी न्याय प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करती है, बल्कि बल्कि करुणा और उत्तरदायित्व की भावना से नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है। यदि हमें सच्चे अर्थों में अदालतों को न्याय के मंदिर बनाना है, तो हमें ऐसी व्यवस्था बनाने की तरफ बढ़ना होगा जिसमें किसी निर्दोष को वर्षों जेल में नहीं रहना पड़े क्योंकि किसी को लंबे समय तक बंदी बनाए रखने के बाद रिहा कर देना, न्याय नहीं – न्यायतंत्र की गम्भीर विफलता है। इस दर्द को समझा जाना चाहिए और न्याय प्रक्रिया को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए जिससे हर वह व्यक्ति न्याय पा सके जो वर्षों से केवल एक तारीख की उम्मीद में जी रहा है।

–अतिथि संपादक, राजेन्द्र बोड़ा (वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

## राशिफल

**बुधवार 23 जुलाई, 2025**



**पंडित अनिल शर्मा**

वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज भद्रा दिन 3:34 तक रहेगी। बुध अस्त पश्चिम में रात्रि 2:55 पर होगा। आज मास शिवरात्रि है। आज से राष्टिय सावन मास आरम्भ होगा।

**श्रेष्ठ चौघडिया**: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:13 तक, शुभ 10:52 से 12:33 तक, चर 3:54 से 5:35 तक, लाभ 5:35 से सूर्यास्त तक।

**राहूकाल**: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 5:50, सूर्यास्त 7:16



**मेघ**

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों मद-बंधुओं के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है।



**तुला**

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटकें हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।



**वृष**

आर्थिक कारणों से अटकें हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी।



**वृश्चिक**

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा शुभ नहीं है।



**मिथुन**

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों योजनानुसार बनने लगेंगे। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



**धनु**

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्यों सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



**कर्क**

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। वाणी पर संयम रखें।



**मकर**

परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।



**सिंह**

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेंगी।



**कुंभ**

व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। कारोबारी अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।



**कन्या**

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटकें हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



**मीन**

घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आय में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



कुणाल वशिष्ठ

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत राजस्थान ने स्वच्छता और शहरी प्रबंधन के क्षेत्र में देशभर में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा 233 नगरीयनिकायों में 3 हजार 799 करोड़ की योजनाओं की क्रियान्विति की जा रही है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शौचालय निर्माण, प्रयुक्त जल प्रबंधन, क्षमता संवर्धन और जन-जागरूकता जैसे विविध घटकों को शामिल किया गया है। राज्य में 219 करोड़ की लागत से अब तक 29961 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और 8068 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे राजस्थान के लाखों नागरिकों को स्वच्छ वातावरण के साथ-साथ सुविधाएँ प्राप्त हो रही हैं।

प्रयुक्त जल प्रबंधन के अंतर्गत एक लाख से कम जनसंख्या वाले 208 नगरीय निकायों में 1 हजार 785 करोड़ की लागत से कार्य प्रस्तावित है, जिनमें से 41 शहरों में कार्य आवंटित कर दिए गए हैं। ठोस

अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत राज्य में 1372 करोड़ की लागत से 233 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, 7 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र तथा 152 लाख घन मीटर लेगेसी वेस्ट के निस्तारण का कार्य किया जा रहा है। इनमें से 153 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, 5 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र तथा 76 लाख घन मीटर लेगेसी वेस्ट का कार्य प्रगतिरत है, जबकि 2 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र तथा 76 लाख घन मीटर से अधिक लेगेसी वेस्ट निस्तारण का कार्य सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इसके साथ ही राज्य में 301 स्थाई मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र स्थापित कर नागरिक संवाद और जनसहभागिता को और अधिक मजबूत किया गया है।

**कचरे से समृद्धि की ओर बढ़ता राजस्थान** :-राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के बहुमुखी विकास के लिए नवाचार को भी विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खरों के निर्देशन में सीकर नगर परिषद ने “शून्य अपशिष्ट, शून्य लागत” मॉडल के तहत प्रतिदिन 125 टन कचरे का निस्तारण कर स्थानीय किसानों को 2 प्रति किलोग्राम दर से उच्च गुणवत्ता की खाद उपलब्ध करवाई है। जोबनर और बस्सी नगर निकायों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ऑन-साइट प्रशिक्षण देकर ठोस कचरा प्रबंधन में जोड़ा गया है, जिससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला है। जयपुर के लांगडियावास स्थित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में प्रतिदिन 1000 टन कचरे का निस्तारण कर उससे 12 मेगा वाट



विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, जो राज्य के सतत ऊर्जा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

**स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में राजस्थान की चमकदार उपलब्धि** : स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। ढूंगरपुर शहर को सुपर स्वच्छता लीग पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि जयपुर नगर निगम ग्रेटर को प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर के रूप में पहचान मिली। राज्य के 12 शहर देश के प्रथम 100 स्वच्छ शहरों में शामिल हुए हैं और पहली बार तीन शहरों को वाटर प्लस श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि राज्य के सभी 240 शहरों की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में अप्रत्याशित सुधार दर्ज हुआ है।

**स्थायी परिवर्तन की ओर** :

# राजस्थान में उच्च शिक्षा पर संकट : संविदा शिक्षकों की नई नीति और उसके गंभीर परिणाम



अशोक कुमार

राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई नई नीति, जिसके अंतर्गत राज्य के 335 राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्यों की नियुक्ति पांच वर्षों के अनुबंध पर की जाएगी, न केवल शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाली नीति है, बल्कि यह उच्च शिक्षा की मूल

आत्मा और के मूल उद्देश्यों के भी प्रतिकूल है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देशभर में उच्च शिक्षकों के लिए जो वेतनमान निर्धारित किए हैं, वे सामान्य सेवाओं से कहीं अधिक हैं और इसके पीछे एक स्पष्ट सोच रही है – देश के श्रेष्ठतम मस्तिष्कों को शिक्षा और अनुसंधान की दिशा में प्रेरित करना। क्योंकि जब शिक्षक सामाजिक, आर्थिक और कार्यस्थल की दृष्टि से सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं, तभी वे शिक्षण, शोध और नवाचार में अपनी ऊर्जा और समर्पण दे सकते हैं।

राजस्थान की नई नीति में शिक्षकों को केवल 28,000 रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त किया जाएगा, जो कि द्वारा निर्धारित 57,700 रुपये न्यूनतम वेतन के लगभग आधे से भी कम है। यह स्थिति न केवल शिक्षकों की गरिमा के विरुद्ध है, बल्कि इससे युवाओं में उच्च शिक्षा

को करियर विकल्प के रूप में चुनने की इच्छा भी क्षीण होगी। एक तरफ हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम शिक्षकों को अस्थायी संविदा पर अल्प वेतन में कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं, जो स्पष्ट रूप से दोहरी मानसिकता को दर्शाता है।

शिक्षा केवल नौकरी नहीं होती, वह समाज निर्माण का कार्य है। एक सहायक आचार्य जब कॉलेज में प्रवेश करता है, तो वह विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाता, बल्कि उन्हें जीवन के उच्च मूल्यों, शोध की संस्कृति और नवाचार की दिशा में भी मार्गदर्शन देता है। यदि उसका स्वयं का भविष्य अनिश्चित हो, तो वह अपने छात्रों को स्थायित्व और लक्ष्य की प्रेरणा कैसे दे पाएगा?

विद्या संवल योजना के समाप्त करने और गुजरत मॉडल के आधार पर संविदा शिक्षक नियुक्त करने का निर्णय

यह दर्शाता है कि सरकार तात्कालिक वित्तीय प्रबंधन को दीर्घकालिक शिक्षा नीति पर वरीयता दे रही है। क्या शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं जिनमें शिक्षकों की योग्यता, सुरक्षा और प्रेरणा के साथ समझौता हो?

राजकीय महाविद्यालय पहले ही शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। शोध, नवाचार और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार तभी संभव है जब योग्य शिक्षक स्थायित्व और सम्मान के साथ कार्य कर सकें। तीन वर्षों के अंतराल पर प्राचार्यों का कार्यकाल बढ़ाने की योजना भी केवल पद की निरंतरता को सुनिश्चित करती है, न कि संस्था की गुणवत्ता को। आवश्यक है कि पदस्थानपन और सेवा विस्तार की कोई भी योजना केवल अनुभव नहीं बल्कि निष्पक्ष मूल्यांकन के आधार पर हो।

यह नीति केवल एक शॉर्टकट

समाधान है, जो दीर्घकालिक समस्याओं को जन्म दे सकती है। उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और स्थायी बनाना होगा। शिक्षकों को राष्ट्रीय वेतनमान, सेवा सुरक्षा और शोध के लिए सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। तभी हम एक ऐसा शिक्षण तंत्र विकसित कर सकते हैं जो भारत को वैश्विक ज्ञान-शक्ति बनाने की दिशा में अग्रसर हो सके। शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए शिक्षक की पूर्णिका केंद्रीय है। यदि हम शिक्षा को भविष्य का निवेश मानते हैं, तो हमें शिक्षकों को केवल संविदा कर्मी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता के रूप में देखना होगा।

–अशोक कुमार,

**पूर्व कुलपति कानपुर,**

**गौरखपुर विश्वविद्यालय,**

**विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर**

# आलसर बास में पानी की टंकी की हालत खस्ता, ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर

**राजलदेसर, (निसं)।** राजलदेसर तहसील के निकटवर्ती गांव आलसर बास में करीब 400 से अधिक घरों में लोग निवास करते हैं। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी विद्यालय भी है, जहां पर विद्यार्थी अध्ययन करते

■ **टंकी ऊपर से पूरी तरह से टूट चुकी है, जिससे इस टंकी में कीड़े-मकोड़े, जीव-जंतु आदि देखने को मिल रहे हैं**

■ **33 वर्ष पूर्व टंकी का निर्माण करवाया था, लेकिन गांव के अंदर एकमात्र टंकी होने के कारण उसकी भी हालत इतनी खराब है कि पूरी जर्जर हो चुकी है**

है। इनके लिये एकमात्र पीने के पानी की टंकी है।

ग्रामवासियों ने बताया रतनगढ़ के पूर्व विधायक स्व. जयदेव प्रसाद इंदौरिया ने 33 वर्ष पूर्व टंकी का निर्माण करवाया था, लेकिन गांव के अंदर एकमात्र टंकी होने के कारण उसकी भी हालत इतनी खराब है कि

पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है एवं ऊपर से पूरी तरह से टूट चुकी है, जिससे इस टंकी में कीड़े-मकोड़े, जीव-जंतु आदि देखने को मिल रहे हैं। इस एकमात्र पीने की पानी की टंकी से ग्रामवासियों को मजबूरन यह पानी

पीना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूली बच्चों को भी इसी टंकी का पानी पिलाया जाता था। गांव के लोगों ने बताया इससे पूर्व कांप्रेस व बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को इस समस्या को लेकर कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन किसी ने इस समस्या की ओर ध्यान नहीं



**राजलदेसर तहसील के निकटवर्ती गांव आलसर बास में करीब 33 वर्ष पूर्व बनी पानी की टंकी जर्जर हो चुकी है।**

दिया। वर्तमान में बारिश का समय चल रहा है। यह टंकी विद्यालय के पास स्थित है। यहीं से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए भी खतरा बना हुआ है। गांव के प्रमुख लोगों ने बताया कि अगर समय रहते हुए सरकार इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान नहीं

देगी तो मजबूरन हमें आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बिजली-पानी पर फोकस देती है, लेकिन पीने के पानी की यह हालत है जो किसी से छुपी हुई नहीं है। इसके अलावा गांव के प्रमुख लोगों ने बताया कि चुनाव के समय राजनेता बड़े-बड़े वादे करके यहां से

चले जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद यहां तक नहीं आते। गांव की दूसरी प्रमुख मांग है जो है आलसर बास से आलसर तक करीब पांच किलोमीटर सड़क है। उसकी हालत इतनी खराब है कि पैदल आदमी नहीं चल सकता। वाहनों की हालत तो इतनी खराब हो जाती है कि कभी-कभी बड़ा हादसा होते हुए बाल-बाल बच चुके हैं, क्योंकि इस मार्ग पर अधिकांश कृषि की जमीन है, जिससे किसान इस मार्ग से गुजरते रहते हैं, लेकिन बार-बार राजनेताओं को सड़क को लेकर अवगत कराने के बावजूद किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गांव के लोगों ने बताया कि अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर राम मेघवाल, रामचन्द्र , हरिराम, अनूप सिंह, मोहनराम, जीवणराम, शंकर सुधार, निदेश, रामदयाल, रामचंद्र स्वामी, शंकर नाथ सहित दर्जनों ग्रामवासी मौजूद रहे।